




क्रमांक प. 14(1)(68)/निमअ/सामूवि/2020/ 3255

जयपुर, दिनांक 27-1-22

आदेश

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना 2021 के बिन्दु संख्या 6(iii) में प्राधिकृत अधिकारी की परिभाषा के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी के रूप में उप निदेशक समेकित बाल विकास सेवाएं, उप/सहायक निदेशक महिला अधिकारिता के अतिरिक्त समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों एवं संरक्षण अधिकारियों को उक्त योजना की क्रियान्विति हेतु एतद् द्वारा प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया जाता है।


  
(श्रेया गुहा)

प्रमुख शासन सचिव  
महिला एवं बाल विकास विभाग

क्रमांक प. 14(1)(68)/निमअ/सामूवि/2020/ 3256-3680 जयपुर, दिनांक 27-1-22

प्रतिलिपि:निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त महिला अधिकारिता।
4. निजी सचिव, निदेशक समेकित बाल विकास सेवाएं, म0बा0वि
5. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, समस्त।
7. उप निदेशक/सहायक निदेशक महिला अधिकारिता, समस्त।
8. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समस्त।
9. संरक्षण अधिकारी, समस्त।
10. प्रोग्रामर, महिला अधिकारिता को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

  
आयुक्त  
महिला अधिकारिता